



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276342
CG-DL-E-21092026-276342

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948

No. 549]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितंबर, 2026

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया)
(संशोधन) विनियम, 2026

सं.पीएफआरडीए/16/16/03/0002/2017-ईएनए.— पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (2) के खंड (थ) और धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

- इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जायेगा।
- ये, शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित (इसके पश्चात 'मूल विनियम' के रूप में संदर्भित) में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं -
- I. मूल विनियमों के विनियम 2 के खंड (च) में, न्यायनिर्णायक अधिकारी शब्द के ठीक बाद आने वाले शब्द "या" को शब्द "और" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - II. मूल विनियमों के विनियम 3 में, "धारा 28" के शब्द और आंकड़ों को, "धारा 16 की उप-धारा (7) अथवा धारा 28" के शब्द, कोष्ठक और आंकड़ों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - III. मूल विनियम 4 के उप-विनियम 1 में, "धारा 28" के शब्द और आंकड़ों को, "धारा 16 की उप-धारा (7) अथवा धारा 28" के शब्द, कोष्ठक और आंकड़ों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - IV. विनियम IV. मूल विनियमों के विनियम 7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:
 "विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार-व्यथित व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी या सदस्य के समक्ष या तो स्वयं पेश हो सकता है अथवा एक या अधिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों या कंपनी सचिवों या लागत लेखाकारों या विधि व्यवसायियों या अपने अधिकारियों में से किसी को उसका पक्षकथन रखने हेतु प्राधिकृत कर सकता है। प्राधिकरण न्यायनिर्णायक अधिकारी और सदस्य के समक्ष अपना पक्षकथन रखने हेतु इस विनियमन में उल्लिखित एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या किसी अन्य उपयुक्त पेशेवर को नियुक्त कर सकता है।"
 - V. मूल विनियम 10 के उप-विनियम 2 में, "धारा 28" के शब्द और आंकड़ों को, "धारा 16 की उप-धारा (7) अथवा धारा 28" के शब्द, कोष्ठक और आंकड़ों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - VI. मौजूदा विनियम 11 के उप-विनियम (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :
 "(3) सदस्य, अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अधिमानतः अंतिम सुनवाई के समापन के साठ दिनों के भीतर, ऐसा आदेश, शास्ति अधिरोपण, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, पारित कर सकेगा"

श्री शिवसुब्रमाणियन रमण, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./318/2026-27]

टिप्पणी :

1.पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 को अधिसूचना संख्या: पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1 के माध्यम से भारत के राजपत्र में दिनांक 6 जनवरी, 2015 को प्रकाशित किया गया था।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2026

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PROCEDURE FOR INQUIRY BY ADJUDICATING OFFICER) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No. PFRDA/16/16/03/0002/2017-EnA.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clause (q) of sub-section (2) thereof and section 30 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely:-

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for Inquiry by Adjudicating Officer) (Amendment) Regulations, 2026.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015, as amended from time to time (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), the following amendments are made.
 - I. In clause (f) of regulation 2 of the principal regulations, the words "or" appearing immediately after the word adjudicating officer, shall be replaced with the words "and".
 - II. In regulation 3 of the principal regulations, for the words and figures "section 28", the words, brackets and figures "sub-section (7) of section 16 or section 28" shall be substituted.
 - III. In sub-regulation 1 of regulation 4 of the principal regulations, for the words and figures "section 28", the words, brackets and figures "sub-section (7) of section 16 or section 28" shall be substituted.
 - IV. In regulation 7, immediately after the words "to present its case" the words "before the adjudicating officer and the member" shall be added.
 - V. In sub-regulation 2 of regulation 10 of the principal regulations, for the words and figures "section 28", the words, brackets and figures "sub-section (7) of section 16 or section 28" shall be substituted.
 - VI. Existing sub-regulation (3) of regulation 11, shall be substituted as follows:
 "(3) The member may pass an order, imposing penalty, if any, as shall be deemed fit, preferably within a period of sixty days of the conclusion of the final hearing having regard to the provisions of sub-section (2) of section 30 of the Act."

SHRI SIVASUBRAMANIAN RAMANN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./318/2026-27]

Footnote:

1. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 6th January, 2015 vide notification No.: PFRDA/12/RGL/139/1.